Regd. No. CHD/0093/2015–2017

# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

43-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 21, 2016 (CHAITRA 1, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

**Notification**

The 21st March, 2016

**No.11-HLA of 2016/14.**— The Haryana Fire Service (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 11- HLA of 2016**

**THE HARYANA FIRE SERVICE (AMENDMENT) BILL, 2016**

**A**

**BILL**

*further to amend the Haryana Fire Service Act, 2009.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

**1.** This Act may be called the Haryana Fire Service (Amendment) Act, 2016. Short title.

**2.** In section 15 of the Haryana Fire Service Act, 2009,- Amendment of section 15 of Haryana Act 12 of 2009.

(i) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(5) On completion of construction of the high-rise building, a no objection certificate shall be obtained, which shall be valid for a period of five years. In the absence of such certificate, the owner shall not occupy, lease or sell the building.".

(ii) after sub-section (5), the following sub-section shall be added, namely:-

"(6) The owner/occupier of the building shall be give a self declaration certificate annually to the effect that the fire fighting system installed in his building/premises is working in good condition and there is no addition/alteration in the building. In case there is any addition/alteration in the building, the Fire No Objection Certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per sub-section (1) and the competent authority may randomly check such building/premises.".

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

(i) Government of Haryana has notified the Haryana Fire Service Act, 2009 *vide* notification dated 24th March, 2009 to provide for the establishment and maintenance of fire service in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

(ii) As per Section 15 (1) of the Haryana Fire Service Act, 2009, any person proposing to construct a building to be used for any propose other than residential purpose or a building proposed to be used for residential purpose of more than 15 meters in height, such as group housing, multi-story flats, walk up apartments, etc. before the commencement of the construction, shall apply for the approval of Fire Fighting Scheme conforming to National Building Code of India, the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the factories Act, 1948 (Act 63 of 1948) and the Punjab Factory Rules, 1952 and issue of No Objection Certificate on such form, alongwith such fee, as may be prescribed.

(iii) There is a provision to get the no objection certificate by the owner on the completion of the construction of high rise building as per section 15 (5) of the Haryana Fire Service Act, 2009. In the absence of such certificate, the owner shall not occupy, lease or sale the building. This NOC is renewed every year by the concerned officer. Renewal of NOC is a time taking process and cause undue harassment to applicant. The amendment will help in addressing substantial number of grievances relating to the renewal of NOC.

(iv) It has therefore, been proposed that section 15 (5) of Haryana Fire Service Act, 2009 may be amended to insert provision of NOC will be renewed after every five years. For the intervening period, the owner/occupier of the building shall be give a self declaration certificate annually to effect that the fire fighting system installed in his building/premises is working in good condition and there is no addition/alteration in the building. In case there is any addition/alteration in the building, the fire No Objection Certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per sub-section (1) and the competent authority may randomly check such building/premises.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

---

Chandigarh:
The 21st March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

*[प्राधिकृत अनुवाद]*

**2016 का विधेयक संख्या 11–एच0एल0ए0**

## हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2016

## हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009,

## को आगे संशोधित करने के लिए

## विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**1.** यह अधिनियम हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

**2.** हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009, की धारा 15 में,– 2009 का हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 15 में संशोधन।

(i) उप–धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"(5) अति उच्च भवन के निर्माण को पूरा होने पर, अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। ऐसे प्रमाण–पत्र के न होने पर, स्वामी भवन का अधिभोग नहीं करेगा, पट्टे पर नहीं देगा या बेचेगा नहीं। "।

(ii) उप–धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:–

"(6) भवन का स्वामी/अधिभोगी इस आशय का प्रति वर्ष स्वतः घोषणा प्रमाण–पत्र देगा कि भवन/परिसर में संस्थापित अग्निशामक प्रणाली अच्छी दशा में कार्य कर रही है तथा वहां भवन में कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं है। यदि वहां भवन में कोई परिवर्धन/परिवर्तन है, अग्नि अनापत्ति प्रमाण–पत्र अस्तित्वहीन होगा तथा स्वामी उप–धारा (1) के अनुसार पुनरीक्षित अग्निशामक स्कीम के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी ऐसे भवन/परिसरों की जांच–पड़ताल यादृच्छिक कर सकता है। "।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

(i) हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में अग्निशमन सेवा की स्थापना एवं रख–रखाव तथा इससे सम्बद्ध व प्रासंगिक मामले हेतु अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2009 द्वारा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 अधिसूचित किया गया था।

(ii) हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15(1) के अनुसार, आवासीय प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी भवन या ऊंचाई में 15 मीटर से अधिक के जैसे ग्रुप हाउसिंग, बहु–मंजिल फलैट्स, वॉक–अप अपार्टमैंट, इत्यादि आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित किसी भवन के निर्माण को प्रस्तावित करने वाला कोई व्यक्ति निर्माण के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) तथा पंजाब कारखाना नियम, 1952 के अनुरूप अग्निशामक स्कीम के अनुमोदन तथा यथाविहित, ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप में अनापत्ति प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(iii) हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15(5) के अनुसार, यह प्रावधान है कि अति ऊंचे भवन निर्माण के पूरा होने पर मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसे प्रमाण–पत्र के न होने पर, स्वामी भवन का अधिभोग नहीं करेगा, पट्टे पर नहीं देगा या बेचेगा नहीं। इस अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण सम्बन्धित अधिकारी प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जो प्रार्थी को अनुचित उत्पीड़न का कारण है। यह संशोधन अनापत्ति प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण से सम्बन्धित अनेक परिवादों के निपटान में सहायता करेगा।

(iv) इसलिए यह प्रस्तावित है कि हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15(5) में संशोधन करते हुए यह प्रावधान कर दिया जाये कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायगा तथा भवन स्वामी को प्रत्येक वर्ष यह स्वयं घोषणा प्रमाण–पत्र देना होगा कि उसके भवन/परिसर में स्थापित की गई अग्निशमन प्रणाली अच्छी स्थिति में कार्य कर रही है तथा भवन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि भवन में किसी प्रकार का बदलाव किया गया तो अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र समाप्त समझा जाएगा तथा स्वामी उपधारा (1) के अनुसार संशोधित अग्निशमन योजना के अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी भवन/परिसर का एकाएक निरीक्षण करेगा।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

---

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

54183—H.V.S.—H.G.P., Chd.